फर्नीचर नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।

<u>नीलामी की सूचना</u>

<u>दिनांक–27.04.2022:–</u> फर्नीचर नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित फर्नीचरों की सार्वजनिक नीलामी होनी है। लकड़ी के निष्प्रयोज्य फर्नीचरों की नीलामी विना तौल के तथा लोहे से निर्मित सामानों Scrap को रू032/–प्रति किलो न्यूनतम नीलामी राशि निश्चित कर नीलामी की जानी है। इसी मूल्य या इससे अधिक मूल्य की खुली बोली/निविदा, नीलामी हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीकर्ता/निविदादाता दिनांक–12.05.2022 को सायं 4.00 बजे तक उपस्थित होकर खुली निविदा/बोली में प्रतिवाद कर सकते हैं। नीलामी बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होने के पश्चात लोहे से निर्मित सामानों Scrap को प्रति किलो इलेक्ट्रानिक वजन मापन यन्त्र से वजन कर तथा लकड़ी के निष्प्रयोज्य फर्नीचरों की नीलामी विना तौल के की जायेगी।

उच्चतम निविदाकर्ता/बोलीकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को कुल नीलामी धनराशि की 25प्रतिशत धनराशि उसी दिन जमा करनी होगी, शेष 75 प्रतिशत धनराशि 5 दिन के अन्दर जमा करने के पश्चात नीलामशुदा सामानों को अपने व्यय पर ले जाने की अनुमति होगी। यदि नियत समय में सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती तो पूर्व में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर निविदाकर्ता/बोलीकर्ता के समस्त अधिकार समाप्त समझे जायेंगें। यदि कुल नीलामी धनराशि बीस हजार रूपये से अधिक होती है तो सम्पूर्ण धनराशि पर 02प्रतिशत G.S.T. के रूप में अतिरिक्त धनराशि निविदादाता/बोलीकर्ता द्वारा देय होगी।

नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य सामानों को किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक जनपद न्यायालय में नजारत अनुभाग से सम्पर्क कर देखा जा सकता है। नीलामी की सूचना जनपद न्यायालय, सुलतानपुर की बेबसाइट (http://districts.ecourts.gov.in/sultanpur) तथा माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट (http://www.allahabadhighcourt.in) पर देखी जा सकती है।

सूचना जनपद न्यायालय के नोटिसबोर्ड पर चस्पा की जाय।

27.4.22

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
अध्यक्ष, नीलामी समिति